ग्रामीण जीवन रेखा और संविधान को काटना

UPSC प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (GS Paper II): संविधान, राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSPs), संघवाद, कल्याणकारी राज्य।**
- **जीएस पेपर III (GS Paper III): रोज़गार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, समावेशी विकास।**

IAS-PCS Institute

चर्चा में क्यों है?

केंद्र सरकार ने **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम** (MGNREGA) को बदलने के लिए **विकसित भारत–ग्राम जी (G RAM G) विधेयक, 2025** पेश किया है। इस प्रस्तावित कानून ने 'काम के अधिकार', 'राजकोषीय संघवाद' और 'सामाजिक एवं आर्थिक न्याय' के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता के भविष्य को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है।

पृष्ठभूमि: मनरेगा (MGNREGA) और संवैधानिक दृष्टिकोण

संविधान में काम का अधिकार (Right to Work) संविधान का **अनुच्छेद 41** राज्य को यह निर्देश देता है कि वह अपनी आर्थिक क्षमता के भीतर नागरिकों के लिए 'काम का अधिकार' सुनिश्चित करे।

- **संविधान सभा की बहसों के दौरान:**
  - समाजवादी सदस्यों ने आर्थिक अधिकारों को कानूनी रूप से लागू करने योग्य (enforceable) बनाने का समर्थन किया था।
  - अन्य सदस्यों ने राजकोषीय और प्रशासनिक चिंताओं के कारण इसका विरोध किया।
  - समझौते के रूप में, 'काम के अधिकार' को **राज्य के नीति निदेशक तत्वों** (DPSPs) के अंतर्गत रखा गया।
- डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने DPSPs को **"अनुदेशों का साधन" (instruments of instruction)** बताया था, जो आर्थिक लोकतंत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं।
- 2005 में मनरेगा (MGNREGA) का अधिनियमन इस संवैधानिक निर्देश को लागू करने का सबसे महत्वपूर्ण प्रयास था।

@resultmitra | www.resultmitra.com | 9235313184, 9235440806

मनरेगा: मूल डिज़ाइन और मुख्य विशेषताएं

मनरेगा की परिकल्पना एक **अधिकार-आधारित रोज़गार गारंटी कानून** के रूप में की गई थी, न कि किसी विवेकाधीन कल्याणकारी योजना के रूप में।

1. काम का वैधानिक अधिकार (Statutory Right to Work)

- ग्रामीण परिवारों के पास काम की मांग करने का कानूनी हक है।
- यदि 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो वे **बेरोजगारी भत्ते** के हकदार होते हैं।
- इसने राज्य पर कानूनी जवाबदेही तय की।

2. मांग-आधारित रोज़गार (Demand-Driven Employment)

- रोज़गार का सृजन लोगों की मांग पर निर्भर करता है, न कि बजट की सीमा पर।
- सूखे, कृषि संकट या आर्थिक मंदी के दौरान, रोज़गार अपने आप बढ़ जाता है।
- इसने मनरेगा को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक **"शॉक एब्जॉर्बर" (संकट-मोचक)** बना दिया।

3. सार्वभौमिकता और सामाजिक न्याय

- यह उन सभी वयस्क ग्रामीण निवासियों के लिए खुला है जो शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं।
- पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है।
- अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), आदिवासियों और महिलाओं की उच्च भागीदारी सामाजिक समावेश को मजबूत करती है।
- यह एक 'फॉलबैक विकल्प' (सुरक्षा कवच) के रूप में कार्य करता है, जिससे श्रमिकों की सौदेबाजी की शक्ति (bargaining power) में सुधार होता है।

@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

4. संघीय और विकेंद्रीकृत ढांचा

- केंद्र सरकार मजदूरी का 100% भुगतान करती है।
- राज्य सीमित लागत साझा करते हैं और कार्यान्वयन को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार ढालते हैं।
- पंचायतें कार्यों की योजना बनाती हैं, उन्हें डिज़ाइन करती हैं और निष्पादित करती हैं।
- इसने मनरेगा को विश्व स्तर पर सबसे विकेंद्रीकृत रोज़गार कार्यक्रमों में से एक बना दिया।

प्रस्तावित विधेयक में क्या बदलाव हैं?

प्रस्तावित **विकसित भारत–ग्राम जी (G RAM G) विधेयक** केवल मनरेगा का नाम नहीं बदलता है; यह इसके चरित्र को मौलिक रूप से बदल देता है।

1. अधिकार-आधारित से बजट-आधारित की ओर

- अब रोज़गार केंद्र द्वारा तय किए गए **"मानक वित्तीय आवंटन" (normative financial allocations)** पर निर्भर करेगा।

- यदि आवंटन समाप्त हो जाता है:
    - केंद्र का काम देने का कोई कानूनी दायित्व नहीं होगा।
- यह एक न्यायोचित हक (justiciable entitlement) को एक विवेकाधीन योजना में बदल देता है।

2. मांग-आधारित रोज़गार की समाप्ति

- अब लोग रोज़गार के पैमाने को निर्धारित नहीं करेंगे।
- केंद्र तय करेगा कि कितना काम "वित्तीय रूप से अनुमेय" (financially permissible) है।
- यह मनरेगा के लोकतांत्रिक मूल को कमजोर करता है।

IAS-PCS Institute

3. केंद्रीकरण और संघीय ढांचे का क्षरण

- परियोजना डिजाइन, ऑडिट और डिजिटल सिस्टम केंद्रीय रूप से नियंत्रित होंगे।
- मौजूदा राजकोषीय तनाव के बावजूद, राज्यों को लागत का 40% तक वहन करने के लिए कहा गया है।
- पंचायतों को केवल कार्यान्वयन एजेंसियों तक सीमित कर दिया गया है।
- यह **सहकारी संघवाद** और **73वें संवैधानिक संशोधन** पर सीधा प्रहार है।

4. श्रम बाजार और वर्गीय पूर्वाग्रह

- विधेयक पीक कृषि सीज़न (खेती के मुख्य समय) के दौरान काम करने पर प्रतिबंध लगाता है।
- **वास्तविकता में:**
    - मशीनीकरण ने कृषि कार्य दिवसों को कम कर दिया है।
    - श्रमिक मनरेगा का विकल्प तभी चुनते हैं जब मजदूरी कम होती है या काम उपलब्ध नहीं होता है।

- यह प्रतिबंध श्रमिकों की सौदेबाजी की शक्ति को कमजोर करता है और बड़े ज़मींदारों को लाभ पहुंचाता है।

5. लिंग और डिजिटल बहिष्करण

- अनिवार्य आधार लिंकिंग और ऑनलाइन उपस्थिति को कानूनी शर्त बना दिया गया है।
- प्रमाण बताते हैं कि ऐसी डिजिटल आवश्यकताओं ने:
    - असली श्रमिकों को बाहर कर दिया है।
    - मजदूरी भुगतान में देरी की है।
- महिलाएं, जो पहले से ही कृषि में वेतन भेदभाव का सामना करती हैं, सबसे बुरी तरह प्रभावित होने की संभावना है।

6. लोकतांत्रिक कमी

- सलाहकार और निवारण परिषदों में श्रमिकों, एससी और एसटी का प्रतिनिधित्व हटा दिया गया है।
- निर्णय लेने की प्रक्रिया 'ऊपर से नीचे' (top-down) हो जाती है, जिससे सहभागी शासन कमजोर होता है।

प्रस्तावित परिवर्तन का महत्व (सरकार का तर्क)

सरकार के दृष्टिकोण से, प्रस्तावित परिवर्तनों को दक्षता-उन्मुख कल्याण सुधार (efficiency-oriented welfare reform) की दिशा में एक कदम के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

1. राजकोषीय अनुशासन और पूर्वानुमान

- निश्चित वित्तीय आवंटन का उद्देश्य है:
  - व्यय की अधिकता (overruns) को रोकना।
  - बजट पूर्वानुमान में सुधार करना।
  - कल्याणकारी खर्च को राजकोषीय समेकन लक्ष्यों के साथ संरेखित करना।

2. प्रशासनिक दक्षता

- केंद्रीकृत परियोजना डिजाइन और डिजिटल ऑडिट से निम्नलिखित की उम्मीद है:
  - लीकेज (रिसाव) को कम करना।
  - भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना।
  - निगरानी और परिणाम-आधारित शासन में सुधार करना।

3. श्रम बाजार का संरेखण

- पीक कृषि सीज़न के दौरान काम को प्रतिबंधित करने को निम्नलिखित आधार पर सही ठहराया गया है:
  - कृषि में श्रम की कमी को रोकना।
  - कृषि उत्पादकता और ग्रामीण विकास का समर्थन करना।

4. तकनीक-संचालित शासन

- अनिवार्य डिजिटल सिस्टम का उद्देश्य है:
  - फर्जी लाभार्थियों (ghost beneficiaries) को खत्म करना।
  - प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) सुनिश्चित करना।
  - पारदर्शिता और रीयल-टाइम ट्रैकिंग में सुधार करना।

5. रीब्रांडिंग और नीति एकीकरण

- "विकसित भारत" ढांचे के तहत कार्यक्रम का नाम बदलने का उद्देश्य है:
  - रोज़गार सृजन को दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ना।
  - ग्रामीण रोज़गार को संपत्ति निर्माण और उत्पादकता के साथ एकीकृत करना।

प्रस्तावित परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियाँ

1. काम के अधिकार का कमज़ोर होना मांग-आधारित हक को बजट सीमा (budget ceilings) से बदलना अधिकार-आधारित ढांचे को नष्ट करता है, जिससे राज्य की जवाबदेही और अनुच्छेद 41 की भावना कमजोर होती है।

2. संघवाद और विकेंद्रीकरण का क्षरण अधिक केंद्रीय नियंत्रण और राज्यों पर अधिक वित्तीय जिम्मेदारी का संयोजन सहकारी संघवाद को कमजोर करता है और पंचायती राज संस्थाओं को हाशिए पर धकेलता है।

IAS-PCS Institute

3. ग्रामीण श्रमिकों की सौदेबाजी की शक्ति में कमी मनरेगा की 'फॉलबैक भूमिका' (सुरक्षा कवच) को वापस लेने से श्रमिक शोषणकारी श्रम स्थितियों के संपर्क में आ जाते हैं, जिसका लाभ विशेष रूप से बड़े ज़मींदारों को मिलता है।

4. लिंग और सामाजिक असमानता महिलाएं, एससी, एसटी और आदिवासी—जो मनरेगा श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा हैं—के सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है, जिससे मौजूदा असमानताएं और गहरी होंगी।

5. डिजिटल बहिष्करण कनेक्टिविटी की कमी और प्रशासनिक विफलताओं के कारण अनिवार्य डिजिटल आवश्यकताएं वास्तविक लाभार्थियों को बाहर करने का जोखिम पैदा करती हैं।

---

6. बढ़ती मांग के बीच धन की पुरानी कमी श्रमिकों की संख्या 7.7 करोड़ से अधिक होने के बावजूद, व्यय कभी भी जीडीपी के 0.2% को पार नहीं कर पाया है, जिससे मांग पूरी नहीं हो पाती, मजदूरी बकाया रहती है और कार्य दिवस कम हो जाते हैं।

7. लोकतांत्रिक निरीक्षण की कमी पर्याप्त संसदीय जांच के बिना किए गए प्रमुख संरचनात्मक परिवर्तन लोकतांत्रिक विचार-विमर्श और नीति की वैधता को कमजोर करते हैं।

मनरेगा: ग्रामीण संकट का प्रतिबिंब

मनरेगा में उच्च भागीदारी निर्भरता के बजाय आर्थिक हताशा को दर्शाती है:

- महिलाएं कठोर परिस्थितियों में शारीरिक रूप से थका देने वाला काम करती हैं।
- आदिवासी (जनसंख्या का 8.6%) श्रमिकों का लगभग 18% और एससी लगभग 19% हिस्सा बनाते हैं।
- 2024-25 में, काम की मांग करने वाले लगभग 99 लाख श्रमिकों को रोज़गार से वंचित कर दिया गया।

- मनरेगा पर निरंतर निर्भरता ग्रामीण भारत में व्यवहार्य आजीविका विकल्पों की अनुपस्थिति को उजागर करती है।

आगे की राह (Way Forward)

1. **मूल ढांचे का संरक्षण:** रोज़गार गारंटी के अधिकार-आधारित और मांग-संचालित मूल को संरक्षित किया जाना चाहिए।
2. **संतुलन:** राजकोषीय अनुशासन को संवैधानिक दायित्वों के साथ संतुलित करें।
3. **संघवाद:** संघवाद और पंचायत स्वायत्तता को मजबूत करें।
4. **तकनीक का सही उपयोग:** तकनीक का उपयोग एक समावेशी माध्यम (enabler) के रूप में करें, न कि एक बहिष्करण फिल्टर के रूप में।
5. **संसदीय समीक्षा:** व्यापक परामर्श के लिए विधेयक को संसदीय स्थायी समिति (Parliamentary Standing Committee) के पास भेजा जाना चाहिए।

निष्कर्ष

मनरेगा एक दुर्लभ संवैधानिक प्रयोग का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ नीति निदेशक तत्वों (DPSPs) को 'जीवंत आर्थिक अधिकारों' में बदल दिया गया था। यद्यपि सरकार का दक्षता, राजकोषीय अनुशासन और पारदर्शिता पर जोर देना अनुचित नहीं है, लेकिन एक अधिकार-आधारित गारंटी को केंद्रीय रूप से नियंत्रित, बजट-सीमित ढांचे में बदलने से सामाजिक न्याय, संघवाद और आर्थिक लोकतंत्र को कमजोर करने का जोखिम है। इसलिए, किसी भी सुधार को भारत के ग्रामीण गरीबों से किए गए संवैधानिक वादे को कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत करना चाहिए।

मेन्स अभ्यास प्रश्न (GS II & III):

केंद्र सरकार का विकसित भारत–ग्राम जी (G RAM G) विधेयक, 2025, मनरेगा को केंद्रीय रूप से नियंत्रित, बजट-सीमित रोज़गार योजना से बदलने का प्रस्ताव करता है। भारत में काम के अधिकार, संघवाद, सामाजिक न्याय और ग्रामीण आजीविका के लिए इस विधेयक के निहितार्थों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ग्रामीण रोज़गार सुधारों में संवैधानिक सिद्धांतों और समावेशी विकास को बनाए रखने के लिए उपाय सुझाएं। (150–250 शब्द)